25 कुल कर योग्य आय की गणना - चेप्टर VIA के अंतर्गत प्रमुख कटौतियाँ

Calculation of Total Income - under Chapter VIA

सकल कुल आय (Gross Total Income) में से आयकर अधिनियम के चेप्टर VIA के अंतर्गत मान्य कटौतीयों को घटाने से कुल कर योग्य आय (Total Income) प्राप्त होती है।

(1) सकल आय के निम्न हिस्से को कटौतियों से समायोजित नही किया जा सकता –

- दीर्घ अवधि पूंजी लाभ (Long Term Capital Gain)
- सेक्युरिटी ट्रांसेक्शन टैक्स लागू होने के बाद, शेयर एवं म्यूचुअल फंडों के अंतरण से होने वाला अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ Short Term Capital Gain
- लाटरी व घुड़ दौड़ से प्राप्त आय – धारा 115 से संबंधित कुछ शीर्ष की आय

(2) सभी कटौतियों का योगफल, सकल आय से अधिक नही हो सकता है तथा कटौतियों को क्लेम करने एवं संबंधित कागजात देने का दायित्व करदाता का ही होता है।

(3) निवेश उसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई आय में से किया जाना आवश्यक नही।

चैप्टर VIA के अंतर्गत प्रमुख मान्य कटौतियों का सारांश

धारा	मान्य कटौतियॉं
धारा 80C	बचत योजनाओं (पूर्व में धारा 80C के तहत मान्य) जैसे GPF/PPF/LIC/GIS/PLI/ NSC/ELSS आदि में किया गया निवेश, 5 वर्ष या अधिक समय के लिए अधिसूचित बैंकों पोस्ट आफिस व वरिष्ठ नागरिक जमा योजना 08 में किया गया FD तथा बच्चों के ट्यूशन फीस व गृह ऋण के मूलधन के भुगतान में किया गया खर्च, बिना किसी आंतरिक सीमा के, कुल अधिकतम 1.5 लाख की सीमा तक।
धारा 80CCC	सरकारी/प्राईवेट बीमा कंपनी के पेंशन योजना में जमा की गई प्रिमीयम की राशि, बिना किसी आंतरिक सीमा के, कुल अधिकतम रू. 1.5 लाख की सीमा तक।
धारा 80CCD	केन्द्रीय सरकार की पेंशन योजना में, करदाता व नियोक्ता का अंशदान, वेतन के 10 % की सीमा तक अलग अलग मान्य ।
धारा 80CCE	धारा 80 C, धारा 80 CCC, धारा 80 CCCD के तहत किये गये निवेश (नियोक्ता द्वारा नई पेंशन योजना में वेतन के 10 % तक दिए गए अंशदान को छोड़कर) का कुल योग 1.5 लाख रूपये से अधिक नही होना चाहिए।
धारा 80CCG	सरकार द्वारा राजीव गॉधी इक्विटी योजना के तहत, अधिसूचित स्टाक एक्सेंज मे सूचीबध्द शेयरो मे किये निवेश की राशि के 50% की कटौती, अधिकतम रूपये 25,000 तक की सीमा मे, ऐसे नये खुदरा निवेशक, व्यक्ति तथा हिन्दु अविभक्त परिवार को प्राप्त होगी, जिनकी सकल आय दस लाख रूपये तक है। यह कटौती केवल एक बार प्राप्त होगी ।
धारा 80D	स्वयं पति/पत्नि, आश्रित माता–पिता या बच्चों के लिए, चिकित्सा बीमा योजना मे जमा की गई प्रिमीयम अधिकतम रू. 30,000, पहले यह सीमा रू.15,000 थी। परंतु यदि बीमित व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष से अधिक हो तो रू. 40,000 ।
धारा 80DD	आश्रित विकलांग के उपचार या बीमा प्रिमीयम पर खर्च के विरूद्ध रू. 50,000 की कटौती तथा गंभीर रूप से विकलांग होने पर रू.1,00,000 की कटौती मान्य है (भले ही व्यय की गई राशि कम हो)
धारा 80E	कर करदाता स्वयं अपनी, जीवन साथी या अपने बच्चो की उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण के ब्याज के बिना किसी ऊपरी सीमा के भुगतान की राशि ।
धारा 80CCD(1B)	नई पेंशन योजना (NPS) में निवेश 50,000 रू तक कटौति योग्य जो धारा 80 CCE के तहत मान्य कटौति की सीमा 1.5 लाख रू के अतिरिक्त देय होगी ।
धारा 80G	प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री राहत कोष आदि में दिये गये दान की राशि पूर्णतः कटौती योग्य।
धारा 80U	यदि करदाता स्वयं, पूर्णतः रूप से अंधा या स्थाई रूप से शारीरिक या मानसिक विकलांग हो तो, रू. 50,000 की कटौती मान्य ।

25.1 धारा 80 (CCC) : पेंशन फंड में किए गए निवेश के संदर्भ में कटौतियां

जीवन बीमा निगम (LIC) की जीवन सुरक्षा पेंशन योजना या अन्य निजी बीमा कम्पनी (मान्यता प्राप्त) की वार्षिकी (Annuity) पेंशन योजनाओं में 10,000 रू. तक किये गये निवेश की राशि कटौती योग्य होता था, परंतु वर्ष 2006–07 से यह सीमा 1.5 लाख रू. तक बढ़ा दी गई है। कर करदाता या उसके नामंकित व्यक्ति को पेंशन, बोनस या ब्याज के रूप में कोई भी राशि प्राप्त होने के वर्ष में पूर्णतः कर योग्य (Taxable) होगी।

25.2 धारा 80 सी के तहत मान्य कटौतियों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2005–06 से धारा 88 के तहत आयकर से मिलने वाली छूट समाप्त कर दी गई है, परंतु नई धारा 80C के तहत उन्ही योजनाओं में, केवल व्यक्तियों (Individual) एवं अविभाजित हिन्दु परिवार को निम्नानुसार किये गये निवेश/खर्च पर, बिना किसी आंतरिक सीमा के, कुल अधिकतम रू. 1.5 लाख की सीमा तक कटौती मान्य होगी अर्थात् सीधे आय से घटाई जा सकेगी। इस योजनाओं में निवेश किसी भी वर्ष में अर्जित आय में से किया जा सकता है।

क	निवेश/खर्च के कुल महत्वपूर्ण योजनाऐं/ शीर्ष	धारा 80C के तहत निवेश की सीमा
1	वैधानिक भविष्य निधि एवं लोक भविष्य निधि (GPF/CPF/PPF) में कर्मचारी का अंशदान	अधिकतम रू. 1,50,000
2	राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) की खरीदी पर निवेश तथा पूर्व में खरीदे गये NSC पर पर प्राप्य (Due) ब्याज (6 वें वर्ष के ब्याज को छोड़कर)	अधिकतम रू. 1,50,000
3	सरकारी/प्राईवेट बीमा कंपनी के जीवन बीमा /पोस्टल बीमा तथा UTI की युलिप आदि योजनाओं में स्वयं, पति/पत्नि, बच्चों (विवाहित/अविवाहित तथा वयस्क/अवयस्क) के लिये, वर्ष के दौरान अदा की गई प्रिमीयम की राशि अधिकतम बीमाधन के 10 प्रतिशत की सीमा तक ।	अधिकतम रू. 1,50,000
4	केवल मकान के निर्माण या अर्जन हेतु, निर्धारित संस्था से लिए गए गृह ऋण के, मूलधन के रूप में किया गया भुगतान, तथा भवन हस्तांतरण के खर्च जैसे स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस इत्यादि।	अधिकतम रू. 1,50,000
5	भारत मे स्थित कालेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्था को, बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा हेतु ट्यूशन फीस, (Development Fee or Donation Fee को छोड़कर) के रूप में अदा की गई राशि केवल 2 बच्चों के संदर्भ में छूट योग्य।	अधिकतम रू. 1,50,000
6	म्युचुअल फंड की इक्विटी लिंकड टैक्स सेविंग (ELSS) स्कीम	अधिकतम रू. 1,50,000
7	पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिक जमा योजनों/नाबार्ड का टैक्स सेविंग्स बाण्ड	अधिकतम रू. 1,50,000
8	5 वर्ष या अधिक समय के लिए अधिसूचित बैंकों/पोस्ट ऑफिस में किया गया सावधि जमा (Fixed Deposit)	अधिकतम रू. 1,50,000
9	सुकन्या समृद्धि खाते में निवेश	अधिकतम रू. 1,50,000

1
Wednesday, August 31, 2016 7:53:35 PM

25.3 धारा 80 CCD : 01.01.2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी (निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कार्य में ज्वाईनिंग दिनांक की बाध्यता पिछले दिनांक से समाप्त कर दी गई है) द्वारा एवं नियोक्ता द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना में जमा कराई गई राशि, वेतन (बेसिक + डी.ए.) के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक, अलग–अलग कटौती अनुज्ञेय होगी। पूर्व में यह सुविधा सरकारी एवं निजी कर्मचारी को प्राप्त थी। वित्त अधिनियम 2009 के अनुसार अब इस योजना में व्यवसायी भी निवेश कर सकेंगें तथा उन्हें भी कटौती की पात्रता होगी। यह संशोधन दिनांक 01 अप्रेल 2009 से प्रभावी माना जावेगा। वित्तीय वर्ष 2011–12 से यह प्रावधान किया गया है कि नियोक्ता का अंशदान वेतन (बेसिक + डी.ए.) के 10 प्रतिशत की सीमा तक की कटौती, धारा 80CCE के तहत निर्धारित सीमा 1.5 लाख रू. के अतिरिक्त मिलेगी।

नई पेंशन योजना (NPS) में निवेश कर 1.5 लाख के अतिरिक्त कटौति पाएं 80 CCC(1B)

आयकर अधिनियम में 1 नया सब सेक्सन 80 CCC(1B) जोड़ा गया है जिसके अनुसार कोई व्यक्ति करदाता नई पेंशन योजना (NPS) में रू. 50,000 तक निवेश कर (धारा 80 C, 80 CCE के तहत निर्धारित सीमा रू. 1.5 लाख के अतिरिक्त) कर योग्य आय से कटौति प्राप्त कर सकता है।

धारा 80CCD के तहत प्राप्त कटौतियॉ अब निम्नानुसार अनुज्ञेय होगी :–

क्र	धारा	क्रदाता की श्रेणी	कटौति की अधिकतम सीमा	टिप्पणी
1	80CCD (1)	1. अप्रेल 2004 के बाद नौकरी प्राप्त सरकारी कर्मचारी	कर्मचारी का अंशदान वेतन का 10%	धारा 80CCE के तहत अधिकतम रू. 1.5 लाख की सीमा के तहत
		2. निजी कर्मचारी	कर्मचारी का अंशदान वेतन का 10%	
		3. स्व नियोजित व्यक्ति	सकल आय का 10%	
2	80CCD (1A)	वित्त अधिनियम 2015 द्वारा विलोपित		
3	80CCD (1B)	कोई व्यक्ति (जिसमें सरकारी व निजी कर्मचारी भी शामिल)	अधिकतम रू 50000	धारा के 80CCE के तहत अधिकतम रू. 1.5 लाख की सीमा के अतिरिक्त
4	80CCD (2)	सरकारी कर्मचारी / निजी कर्मचारी	नियोक्ता का अंशदान वेतन की 10% की सीमा में	

वेतन = मूल वेतन (पे + ग्रेड पे) + मंहगाई भत्ता

उपरोक्त टेबल से स्पष्ट है कि कर्मचारी नई पेंशन योजना में निवेश करके अधिकतम 2 लाख रू. तक की कटौति कर योग्य आय से प्राप्त कर बेहतर टैक्स सेविंग कर सकता है तथा अन्य व्यक्ति भी 1.5 लाख रू. तक धारा 80 सी के तहत विभिन्न कर बचत योजनाओं में निवेश करके तथा 0.5 लाख रू. नई पेंशन योजना में निवेश कर धारा 80CCD (1B) के तहत इस प्रकार अधिकतम 2 लाख रू. तक की कटौति कर योग्य आय से प्राप्त कर बेहतर टैक्स सेविंग कर सकता है।

25.4 धारा 80 CCE :– धारा 80C धारा 80CCC तथा धारा 80CCD के तहत किये गये कुल निवेश (नियोक्ता द्वारा नई पेंशन योजना में वेतन के 10 प्र.श. तक दिए गए अंशदान को छोड़कर) के लिए अधिकतम 1 लाख रूपये की कटौती मान्य होगी।

25.5 धारा 80 CCG :– सरकार द्वारा राजीव गॉधी इक्विटी योजना के तहत, अधिसूचित स्टाक एक्सेंज मे सूचीबध्द शेयरो व / या ईक्विटी ओरिएंटेड म्यूचूअल फण्ड के यूनिटों मे किये निवेश की राशि के 50% की कटौती, ऐसे नये खुदरा निवेशक, व्यक्ति तथा हिन्दु अविभक्त परिवार को प्राप्त होगी, जिनकी सकल आय (Gross Total Income) 12 लाख रूपये तक है। योजना में निवेश तीन साल के लाक–इन अवधि के लिए किया जावेगा। जिस वर्ष में योजना से तीन वर्ष से पूर्व राशि निकाली जाती है तो पूरी राशि निकाले गए वर्ष में करयोग्य होगी। इस योजना में अधिकतम रू. 50,000 तक निवेश किया जा सकता है, अर्थात अधिकतम कटौती रू. 25,000 तक प्राप्त होगी। इस योजना में निवेश लगातार तीन वर्षों तक किश्तों में भी किए जाने की सुविधा वर्ष 2014–15से दी गई है।

25.6 धारा 80 D : स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में किए गए निवेश के संदर्भ में कटौती :– करदाता स्वयं, जीवन साथी, आश्रित पालक या बच्चों के स्वास्थ्य पर मान्यता प्राप्त बीमा कंपनी (सरकारी या निजी) की स्वास्थ्य बीमा योजना (जैसे – मेडिक्लेम, भविश्य आरोग्य केन्द्र सरवकार की स्वास्थ्य बीमा योजना सी.सी.एच.एच.आई.एस. आदि) में, रू. 25,000 तक किया गया निवेश (बीमित व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक होने पर रू. 30,000) कटौती योग्य होगा, परन्तु प्रिमीयम का भुगतान उसी वर्ष की करयोग्य आय में से चेक द्वारा किया जाना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2012–13 से वर्ष के दौरान स्वयं, जीवन साथी, आश्रित बच्चे, पालक के बीमारी से रोकथाम हेतु स्वास्थ्य की जॉच के लिए नगद या अन्य माध्यम से खर्च की गई राशि सकल आय में से रू. 5,000 तक की सीमा में कटौती योग्य होगी। परन्तु यह कटौती धारा 80 डी के तहत अनुज्ञेय कुल रू. 25,000 (अतिरिक्त 25,000 / 30,000 पालकों के लिए) की सीमा के अंतर्गत ही मिलेगी अति वरिष्ठ (जिनकी उम्र 80 वर्ष हो चुकी है) के इलाज हेतु खर्च की गई राशि अधिकतम रू. 30,000 की सीमा तक वर्ष 2015–16 से कटौति योग्य ।

25.7 धारा 80 DD : आश्रित विकलांग (Dependent Handicapped) के चिकित्सा उपचार तथा अनुरक्षण (Maintenance) हेतु किए गए खर्च के संदर्भ में सामान्य विकलांगता की स्थिति में रू. 75,000 तथा गहन विकलांगता की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2015–16 से रू. 1,25,000 की कटौती मान्य है। भले ही वास्तविक रूप से खर्च या निवेश की गई राशि कम हो (Pension with Disability Act 1995 के तहत 40% से अधिक विकलांगता को सामान्य विकलांगता, तथा 80 % से अधिक विकलांगता को गहन विकलांगता माना जाता है)।

निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति होने पर ही कटौतियां मान्य होगी :

1. करदाता, ने आश्रित विकलांग की चिकित्सा / परिचर्या / प्रशिक्षण पूनर्वास हेतु, कुछ व्यय किया हो, या
2. जीवन बीमा निगम की जीवन विश्वास / जीवन आधार योजना या मान्यता प्राप्त निजी बीमा कंपनी की या यूनिट ट्रस्ट की अपंग व्यक्तियों के लिये निर्धारित योजनाओं में, विकलांग व्यक्ति के लाभार्थ, कोई निवेश किया हो।
3. आश्रित विकलांग से अभिप्राय : व्यक्ति के जीवनसाथी, बच्चे, भाई, बहिन या करदाता पर आश्रित पालक।
4. निम्न में से कोई भी एक अक्षमता (Disability) होने, पर विकलांग (Handicapped) माना जाएगा–
   i. निम्न में किसी एक को स्थाई शारीरिक अपंगता (Permanent Physical Disability) माना जा सकता है
   ☞ 50 % से अधिक एक (Limb) की स्थाई शारीरिक अपंगता
   ☞ 71 डेसीबल या उससे अधिक आवाज को सुनने में स्थाई अक्षमता (बहरापन),या पूर्ण, रूप से गूंगापन
   ii. यदि किसी व्यक्ति का I.Q. 50 से कम हो, तो उसे मानसिक अक्षमता माना जायेगा।
   (On a test with a mean of 100 & a standard Deviation of 15 such as the wechsle scale)
   iii. यदि करदाता की देखने की क्षमता निम्न मे से किसी श्रेणी में आती हो तथा ठीक होने योग्य न हो तो उसका यह दृष्टि दोष (Blindness) अंधापन स्थाई शारीरिक विकलांगता मानी जायेगी।

	All with corrections No. Better eye	Worse eye
a	6/60-4/60 field of vision 110-20	3/60 to Nil
b	3/60 to 1/60 or Field of vision 100	F.C. at 1 foot to Nil
c	F.C. at 1 foot to Nil or F.O.V. 100	F.C. at 1 foot to Nil or F.O.V. 100
d	Total absence of sight	Total absence of sight

5. करदाता को स्थाई विकलांगता (दोनो शर्तो के अनुरूप) का प्रमाण पत्र शासकीय अस्पताल में कार्यरत सक्षम चिकित्सक से प्राप्त कर, प्रस्तुत करना आवश्यक था, अब वर्ष 2015–16 से यह शर्त हटा ली गई है ।

6. स्वयं को एक घोषणा पत्र लिखित रूपसे प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें उसके द्वारा किये गये चिकित्सा व्यय एवं किये गये निवेश का विवरण दिया गया हो, परन्तु वितरण एवं आहरण अधिकारी (DDO) करदाता को किये गये खर्च के संदर्भ में प्रमाणित बिल या वाउचर प्रस्तुत करने को बाध्य नही कर सकता है।

1
Wednesday, August 31, 2016 7:53:35 PM

25.8 धारा 80 DDB,स्वयं या आश्रित व्यक्ति, के गंभीर बीमारी के उपचार हेतु व्यय की गई राशि बाबत कटौती–

1. आयकर नियम 11 के अंतर्गत वर्णित, बीमारियों के उपचार में वर्ष के दौरान, वास्तविक रूप से भुगतान की गई राशि या 40,000 रू. (वरिष्ठ नागरिक, उम्र 60 वर्ष से अधिक, होने की दशा में 60,000 रू., अति वरिष्ठ नागरिक उम्र 80 वर्ष से अधिक होने की दशा में, 80,000 रू.) जो कम हो, की कटौती मान्य होगी। परन्तु यदि चिकित्सा बीमा पालिसी के अंतर्गत कोई राशि, रोगों के उपचार हेतु प्राप्त होती है, तो वह भी कम की जायेगी।
2. आयकर नियम 11 DD के अंतर्गत वर्णित बीमारियों के नाम :–

   1. कैंसर 2. थाईलेसीमिया 3. डिमोफिलिया या
   4. मस्तिष्क से संबंधित बीमारी 5. एड्स (AIDS) 6. Chronoic Renal failure
3. करदाता को, किसी भी सरकारी अस्पताल में कार्यरत, संबंधित बीमारी के विशेषज्ञ चिकित्सक से, निर्धारित प्रपत्र (10-I) में उपरोक्त बीमारियों से पीड़ित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अब वर्ष 2015–16 से यह शर्त हटा दी गई है ।
4. आश्रित व्यक्ति से अभिप्राय : व्यक्ति (Individual & HUF) के जीवन साथी, बच्चे, भाई, बहिन या पालक (Parents) (जो करदाता पर आश्रित हो)

25.9 धारा 80 G :– कतिपय निधियों, धर्मार्थ संस्थानों इत्यादि को दिये गये दान बाबत कटौती

करदाता द्वारा, कर योग्य आय में से दिये गये दान पर निम्नानुसार कटौतियां मान्य है परन्तु रू. 10 हजार से अधिक नगद में दिए गए दान पर आयकर से कटौतियां नही मिलेगी। –

(अ) निम्न संस्थाओं को दिये गये दान पर 100 प्रतिशत कटौती मान्य :

- ☞ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष तकनीकी विकास हेतु गठित कोष
- ☞ महामहिम राज्यपाल या राज्य के मुख्यमंत्री का राहत कोष
- ☞ राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त अधिसूचित शैक्षणिक संस्था या विश्वविद्याालय ।
- ☞ राज्य सरकार द्वारा गरीबों को स्वास्थ्य सहायता देने हेतु अधिसूचित किया गया कोई कोष
- ☞ ग्रामीण एवं शहरों में प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु अधिसूचित कोष
- ☞ राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोश, केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय रक्षा कोष
- ☞ गंगा सफाई कोष, स्वच्छ भारत कोष राष्ट्रीय नशा रोकने हेतु कोष

(ब) निम्न संस्थाओं को दिये गये दान की 50 प्रतिशत राशि की कटौती योग्य है :–

- ☞ प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष, राष्ट्रीय बाल कोष (Children funds)
- ☞ इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाऊडेशन ।

(स) निम्न संस्थाओं को दिये गये दान पर 100 प्रतिशत राशि, शर्तो सहित कटौती योग्य है :–
परिवार नियोजन को बढ़ावा देने हेतु गठित कोई सरकारी या मान्यता प्राप्त स्थानीय प्राधिकरण, संस्था एसोसियेशन

(द) निम्न संस्थाओं को दिये गये दान पर 50 प्रतिशत राशि, शर्तो सहित कटौती योग्य है :–

- ☞ परिवार नियोजन के अलावा अन्य सहायतार्थ उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्थायी प्राधिकरण, संस्था या एसोशियेशन।
- ☞ धारा 80G (5) के तहत स्वीकृति प्राप्त चेरीटेबल संस्था
- ☞ केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या कलात्मक महत्व की किसी अधिसूचित मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा चर्च या अन्य स्थान के मरम्मत अथवा जीर्णोद्धार हेतु दिया गया दान।

शर्त :– कण्डिका (स) एवं (द) के अंतर्गत संस्थाओं को दिये गये दान की राशि का योगफल, समायोजित सकल कुल आय (Adjusted Gross Total Income) के 10% से अधिक नही होना चाहिए। Adjusted Gross Total Income = Gross Total Income – Long Term capital Gains (-) Sum of deduction u/s 80 (CCC) to 80U (except 80G) (समायोजित सकल कुल आय = सकल कुल आय – दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ – धारा 80(CCC) से 80U तक (80G को छोड़कर) मान्य कटौतियों का योगफल)

25.10 धारा 80 E :– उच्च शिक्षा के हेतु लिये गये ऋण का भुगतान के संदर्भ में कटौती :

वित्तीय वर्ष 2008–09 से करदाता द्वारा स्वयं की, जीवन साथी या बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु, वित्तीय संस्थान या मान्यता प्राप्त चैरेटी संस्था से लिये गये ऋण के ब्याज के भुगतान (Repayment), की पूरी राशि की कटौती, बिना किसी सीमा के, निम्न शर्तों के अंतर्गत मान्य है :–

(i) उच्च शिक्षा का तात्पर्य – मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड से स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद व्यवसायिक अध्ययनों सहित अध्ययन के किसी भी विशयों में उच्चशिक्षा (दिनांक.01.04.2009 से लागू)।

(ii) प्रथम भुगतान दिनांक से अधिकतम 8 वर्षों तक, ऋण के, ब्याज के रूप में भुगतान की गई राशि कटौती योग्य होगी।

25.11 धारा 80 EE : गृह ऋण पर देय ब्याज के संदर्भ में कटौती :–

व्यक्ति करदाता को 1 आवासीय मकान संपत्ति अधिग्रहित करने के लिए किसी बैंक या आवासीय वित कंपनी से वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान अधिकतम 35 लाख रू तक का ऋण स्वीकृत करवाया हो तथा आवासीय मकान संपत्ति का मूल्य 50 लाख से अधिक न हो, एवं करदाता अनुमोदन तिथि को किसी अन्य आवासीय मकान का मालिक न हो, तो वित्तीय वर्ष 2016–17 में अधिकतम 50000 रू तक की सीमा में देय ब्याज कटौती योग्य होगी। एक बार इस धारा के तहत कटौती क्लेम करने के पश्चात देय ब्याज की राशि पर अन्य किसी धारा जैसे 24 के तहत कोई कटौती नही मिलेगी।

25.11 धारा 80 GG मकान किराए के भुगतान के संदर्भ में कटौती :–

करदाता को, जिसमें वे कर्मचारी भी शामिल है जिन्हे मकान किराया भत्ता प्राप्त नही होता, उनके द्वारा मकान किराया के रूप में अदा गई राशि पर, निम्नलिखित मे से जो कम हो, की कटौती (शर्तो के पालन होने पर) मान्य होगी–

- ☞ भुगतान किया गया किराया – कर योग्य आय का 10%, या,
- ☞ कर योग्य आय (Total Income) का 25% या,
- ☞ 5000 रू. प्रति माह की दर से वार्षिक किराया

कटौती की पात्रता हेतु निम्न शर्तो का पालन करना आवश्यक है :–

(अ) करदाता के स्वयं के नाम से जीवन साथी या बच्चों के नाम से कोई मकान, उसके कार्य स्थल पर नही होना चाहिए, या कार्यस्थल से अन्य स्थानों पर मकान इस स्थिति में न हो, कि उसका वार्षिक मूल्य शून्य हो।

(ब) नियम 11 बी के अन्तर्गत निर्धारित फार्म 10BA में करदाता को घोषणा पत्र देना होगा।

25.13 80GGB – भारतीय कम्पनी के द्वारा राजनैतिक पार्टी को चंदा दिये जाने बाबत् :–

जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29 A के तहत पंजीकृत राजैनतिक पार्टियों/चुनावी ट्रस्ट (दि 01.04.2009 से लागू) को दिये गये चंदे की पूरी राशि कटौती योग्य होगी।

25.14 80GGC – किसी व्यक्ति (Person) द्वारा राजनैतिक राष्ट्रीय पार्टी को दिये गये चंदे के संदर्भ में कटौती

जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29 A के तहत पंजीकृत राजनैतिक पार्टीयों/चुनावी ट्रस्ट को, किसी व्यक्ति (स्थानीय संस्थाओं एवं वैधानिक निगमों को छोड़कर) द्वारा दिये गये चंदे की पूरी राशि, कटौती योग्य होगी।

25.15 धारा 80 TTA – बचत खातों से प्राप्त ब्याज रू. 10,000 तक कटौती योग्य –

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक या पोस्ट आफिस के बचत खातों से ब्याज के रूप में प्राप्त राशि अधिकतम रू. 10,000 तक सकल आय से कटौती योग्य होगी। अर्थात रू. 10,000 तक ब्याज के रूप में प्राप्त राशि पर वर्ष 2012–13 से आयकर नही लगेगा, परन्तु सावधि जमा (फिक्स डिपाजिट) व आवर्ती जमा पर प्राप्त ब्याज पूर्ववत कर योग्य होंगे।

25.16 धारा 80 U – स्थाई शारीरिक/ मानसिक अपंगता के संदर्भ में कटौती :–

यदि निर्धारति, स्वयं विकलांग हो तो सामान्य विकलांगता की स्थिति में रू. 75,000 तथा गहन विकलांगता की स्थिति में रू. 1,25,000 की कटौती मान्य है। भले ही वास्तविक रूप में खर्च या निवेश को खर्च की राशि कम हो। Pension with Disability Act 1995 के तहत 40% से अधिक विकलांगता को सामान्य विकलांगता, 80% से अधिक विकलांगता को गहन विकलांगता माना जाता है।

1
Wednesday, August 31, 2016 7:53:35 PM